R.D-08.06.2018

UPLOAD -08.06.2018

कार्यालय जिलाधिकारी / लाइसेंस प्राधिकारी, औरैया

पत्रांक 360 / आब.0वि0-व्यवस्थापन पत्रा0 / 2018-2019 / दिनांक 07-6-18

विज्ञप्ति

पंचम चरण में ई- टेण्डर / ऑफर के आधार पर दुकान का व्यवस्थापन सम्बंधी महत्वपूर्ण आबकारी सूचना ::-

आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 इलाहाबाद के पत्र सं0 16905-16979 / दस-लाइसेंस-367 / सुझाव आबकारी नीति / 2018-19 दिनांक इलाहाबाद मई 20, 2018 के कम में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी विज्ञप्ति सं0 212 / आब. 0वि0-व्यवस्थापन पत्रा0 / 2018-2019 / दिनांक 23-05-2018 के द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति शासन से प्राप्त निर्देशों एव आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 इलाहाबाद के पत्र सं0 24823-897 / दस-लाइसेंस-367 / सुझाव आबकारी नीति / 2018-19 दिनांक इलाहाबाद जून 06, 2018 द्वारा अपरिहार्य कारणोंवश ई-टेण्डर / आफर द्वारा व्यवस्थापन की प्रकिया को निरस्त करते हुए ई-टेण्डर / आफर का कार्यकम दिनांक 08-06-2018 से दिनांक 19-06-2018 के मध्य पुर्ननिर्धारित कर दिया गया है अत: दिनांक 24-05-2018 से 06-06-2018 के मध्यम सम्पन्न होने वाले ई-टेण्डर को निरस्त करते हुए ई-टेण्डर / ऑफर का कार्यकम 08-06-2018 से 19-06-2018 के मध्य पुर्ननिर्धारित कर दिया गया है। तत्कम मे पुर्ननिर्धारित ई-टेण्डर / आफर हेतु निम्नलिखित प्रकिया निर्धारित की जाती है :-

उपरोक्त के सम्बंध मे विवरण जनपद औरैया की वेवसाइट www.auraiya.nic.in पर भी देखा जा सकता है। इस चरण मे धरोहर धनराशि, प्रोसेसिंग फीस व जी0एस0टी0 का भुगतान ऑन लाइन तथा वांछित धरोहर धनराशि के डिमाण्ड ड्राफट की कॉपी अपलोड कर वांछित धरोहर धनराशि के डिमाण्ड ड्राफट को कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, औरैया मे दिनांक 18-06-2018 को प्रात: 11:00 बजे तक उपलब्ध करादें। आवेदक और सह आवेदक की अलग-अलग हैसियत आवेदित दुकान की लाइसेंस फीस टेण्डर / ऑफर की धनराशि से कम नही होगी। अन्य नियम व शर्ते पूर्व प्रकाशित दिनांक 23-05-2018 व अन्य प्रकाशित पूर्व विज्ञप्ति के अनुसार रहेगी। पंचम चरण की लाटरी हेतु समय सारणी व अवशेष दुकानों के सम्बंध मे विवरण निम्नवत है :-

चतुर्थ चरण के बाद अवशेष दुकान के व्यववस्थापन हेतु सम्पूर्ण भारत वर्ष के निवासियों से ऑनलाइन टेण्डर आमंत्रित किये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यकम निर्धारित किया जाता है :-

कमांक	विवरण	समय सारिणी
1	Tender publishing date	08-06-2018 at 15:30
2	Document download start date	08-06-2018 at 15:30
3	Document download end date	18-06-2018 at 09:30
4	Pre bid meeting date	09-06-2018 at 16:00
5	Bid submission start date	08-06-2018 at 15:30
6	Bid submission closing date	[illegible]8-06-2018 at 09:30
7	Techenical Bid opening date	18-06-2018 at 11:00
8	Financial Bid opening date	19-06-2018 at 14:00
9	The place Bid opening	Collectrate hq KAKORE
10	Tender inviting Officer	Collector

अवशेष विदेशी मदिरा दुकानों का विवरण :-

क्रम सं0	विदेशी मदिरा दुकान का नाम	प्रास्थति	टेण्डर ऑफर की न्यूनतम निर्धारित लाइसेंस फीस	प्रतिभूति धनराशि रू0 में	धरोहर धनराषि रु0	अपेक्षित सौलवेंसी की धनराशि	प्रोसेसिंग फीस रु0	प्रेसिंग फीस पर देय 18 प्रतिशत जी0एस0टी0
1	अयाना	ग्रामीण	756000	टेण्डर / आफर की धनराशि का 10 प्रतिशत	टेण्डर / आफर की धनराशि का 10 प्रतिशत	टैण्डर आफर की धनराषि के बराबर	15000	2700

1- वर्ष 2018-19 हेतु विदेशी मदिरा दुकान अयाना का पांचवें चरण का व्यवस्थापन ई-टेण्डरिंग प्रणाली के अनुसार निर्धारित न्यूनतम वार्षिक लाइसेंस फीस के आधार पर आफर मांग कर किया जायेगा।

2- मदिरा की उक्त दुकान हेतु प्राप्त आफर मे सर्वाधिक वार्षिक लाइसेंस फीस ई टेण्डर / आफर को स्वीकार किया जायेगा। यदि दो या दो से अधिक समान अधिकतम ई-टेण्डर / आफर प्राप्त होते हैं तब जनपद स्तर पर गठित

7/6/18

लाइसेंसिंग समिति के समक्ष मैनुअल लाटरी के माध्यम से ऐसे समान ई-टेण्डर/आफर में से एक को चुनकर व्यवस्थापन कराया जायेगा।

3- उक्त दुकान का स्वीकृत टेण्डर/आफर से प्राप्त सर्वाधिक वार्षिक लाइसेंस फीस को रु0 5000/- के अगले गुणांक में निर्धारित किया जायेगा।

4- प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ विदेशी मदिरा दुकान अयाना हेतु रु0 15000/-प्रोसेसिंग शुल्क आवेदन प्रकिया के रूप में देय होगा इस पर 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0/वैट भी नियमानुसार देय होगा। प्रत्येक आवेदन पर प्रोसेसिंग एवं जी0एस0टी0 अनिवार्य रूप से एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से जिला आबकारी अधिकारी, लखनऊ(JILA ABKARI ADHIKARI LUCKNOW) के पंजाब नेशनल बैंक, विपुल खण्ड लखनऊ स्थित खाता संख्या 4483002100004497 में जमा करना होगा। पंजाब नेशनल बैंक विपुल खण्ड शाखा का आई0एफ0एस0सी0 कोड PUNB 0448300 है। आवेदन पत्र में भुगतान से सम्बधित यू0टी0 आर0 नम्बर भरा जायेगा। धरोहर धनराशि बैंक ड्राफट के रूप में स्वीकार की जाएगी। बैंक ड्राफट राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एवं (सम्बंधित जनपद) जिला आबकारी अधिकारी, औरैया के पक्ष में बना होना चाहिए। **उल्लेखनीय है कि जिन आवेदकों द्वारा विज्ञप्ति सं0 212/आब. 0वि0-व्यवस्थापन पत्रा0/2018-2019/दिनांक 23-05-2018 के अन्तर्गत पूर्व ई-टेण्डर/ऑफर हेतु आवेदन किया गया है उन्हें भी दुवारा आवेदन निर्धारित प्रकियानुसार करना होगा, ऐसे आवेदकों को धरोहर धनराशि हेतु डी0डी0 एवं प्रोसेसिंग शुल्क जमा किये जाने का ई- चालान नम्बर इत्यादि पूर्व में जमा किये गये शुल्क का मान्य होगा, जिसे वह पुनः www.etender.up.nic.in पोर्टल पर अपलोड करेगा।**

5- बिड जमा करने से सम्बंधित दिग्दर्शिका आबकारी विभाग की वेबसाइट www.upexcise.in पर आन लइान बिड सबमिशन शीर्षक के अन्तर्गत उपलब्ध है।

6- प्रोसेसिंग शुल्क , जी0एस0टी0 के आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 द्वारा किये गये भुगतान की बैंक रसीद एवं पूर्व निर्धारित आवश्यक प्रपत्र यथा शपथ पत्र, साल्वेंसी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैनकार्ड आदि प्रपत्र भी स्कैन करके ई-टेण्डर पोर्टल के टेक्निकल बिड सेक्सन में अपलोड करना होगा जबकि धरोहर धनराशि बैंक ड्राफट की स्कैन कॉपी ई-टेण्डर पोर्टल के फाइनेंसियल बिड सेक्शन में अपलोड की जायेगी।

आवेदन/व्यवस्थापन से सम्बंधित प्रकिया वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर सम्पादित की जायेगी तथा समस्त मदिरा दुकानों हेतु उक्त वेबसाइट के माध्यम से ऑन लाइन ऑफर/आवेदन किया जा सकेगा। प्रत्येक आवेदक/आफरदाता Digital Signature Certificate(DSC) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी एजेंसी से अनिवार्य रूप से तैयार करानी होगी तथा www.etender.up.nic.in पर पंजीकरण करना होगा। जिसके माध्यम से वह मदिरा की दुकान के व्यवस्थापन के सम्बंध में विस्तृत विवरण लाइसेंस फीस आदि सहित आबकारी विभाग की वेबसाइट www.upexcise.in पर भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इस सम्बंध में किसी भी प्रेच्छा के लिए जिला आबकारी अधिकारी औरैया मोबाइल नं0 9454465673 एवं आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-1 औरैया 9454466320 एवं आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-2 विधूना से 9917022165 पर अथवा कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, औरैया में व्यक्तिगत सर्म्पक कर किया जा सकता है।

(श्रीकान्त मिश्रा) 7.6.18
जिलाधिकारी
औरैया

7/6/18
प्र0 जिला आबकारी अधिकारी
औरैया।

पृ0 पत्र सं0 361-67 /जि0आ0अ0-औरैया/2018-19/तद्दिनांकित। दिनांक 07-6-18

प्रतिलिपि :- 1- पुलिस अधीक्षक, महोदय, जनपद औरैया की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2- आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र-1 एवं क्षेत्र-2 को उपरोक्त के कम में इस निर्देश के साथ कि क्षेत्र मे व्यापक प्रचार-प्रसार कर उक्त दुकान का नियमानुसार व्यवस्थापन कराना सुनिश्चित करें।

2- प्रतिनिधित एफ0एल0-2, सी0एल0-2, औरैया को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।

3- नाजिर, कलेक्ट्रेट, औरैया को इस आशय से कि इसे नोटिस बोर्ड पर चस्पा करन हेतु।

4- नाजिर, विकास भवन,, औरैया को इस आशय से कि इसे नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

5- विज्ञापन प्रबन्धक, दैनिक जागरण/हिन्दुस्तान औरैया को इस अनुरोध के साथ कि दिनांक 08-06-2018 को प्रसारित होने वाले अपने सम्मानित समाचार पत्र में न्यूनतम स्थान में प्रसारित कराकर बिल दो प्रतियों में भुगतान हेतु जिला सूचना अधिकारी, औरैया से सत्यापित कराकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

7.6.18
जिला आबकारी अधिकारी
औरैया